15/3/26

पत्रावली पेश/वकील पक्षकार उप० आदेश प्रार्थी/अप्रार्थी का प्रा० पत्र 07 रूल 11 CPC के स्वीकार कर अप्रार्थी/वादी का वाद को खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया जावे। पत्रावली को नतीजा मुताबिक नम्बर में दर्ज होकर पत्रावली जिला अभिलेखागार में शामिल हो।

**उपखण्ड अधिकारी**
**मुण्डावर (खैरथल-तिजारा**

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

| दावा संख्या | दायर दिनांक | आदेश दिनांक |
|---|---|---|
| 128 / 2026 | 12.05.2026 | 15.05.2026 |

**बउनवान**

1. अभयसिंह पुत्र श्री अमरसिंह जाति अहीर निवासी गादली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी / अप्रार्थी

**बनाम**

1. अजीत पुत्र श्री बहादुर
2. अमरजीत पुत्र श्री बहादुर
3. देवकरण पुत्र श्री जीता
4. बस्तीराम पुत्र श्री भूरूराम
5. बालकिशन पुत्र श्री श्योकरण
6. मनोज कुमार पुत्र श्री काशीराम
7. महिपाल पुत्र श्री अर्जुन
8. राजेश पुत्र श्री श्योकरण
9. संजय कुमार पुत्र श्री काशीराम
10. सतीश कुमार पुत्र श्री काशीराम
11. संतारा देवी पत्नी काशीराम जातियान अहीर निवासीयान गादली तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
12. श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
13. श्रीमान सब रजिस्ट्रार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादी / प्रार्थी

**दावा तकासमा मय हु0 ई0 दवामी**
**अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**प्रार्थी / प्रतिवादी वकील –: श्री सुरेश कुमार**
**अप्रार्थी / वादी वकील –: श्री अमित चौधरी**

आदेश 07 नियम 11 (क) सिविल प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रार्थी / प्रतिवादी 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. यह है कि उक्त अनुवान के प्रकरण में आज की तारीख पेशी नियत है।
2. यह है कि प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान में गलत तथ्य अंकित कर न्यायालय में वाद पेश किया है जबकि वास्तविकता यह है कि वादी अभयसिंह के पिता स्वंय अमरसिंह ने एक दावा पूर्व में श्रीमान अदालत में इसी खसरा नम्बर का पेश किया है जो दावा विचाराधीन है जो बअनुवान अमरसिंह बनाम रामेश्वर है जिसमे जमाबन्दी में स्थगन नोट अंकित है। वादी ख० नं0 76 का रिकोडेर्ड खातेदार नहीं है इसलिये भी वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त ख0 नं0 76 का दूसरा दावा बअनुवान

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

उम्मेदसिंह बनाम देवकरण श्रीमान अदालत में पेश किया हुआ है जिसमें स्वंय वादी तरतीबी प्रतिवादी की जद में पक्षकार है जिसमें स्थगन आदेश का नोट जमाबन्दी में अंकित है। तथा इसी ख0 नं0 76 रकबा 0.30 है0. का तीसरा दावा प्रार्थी बहादुरसिंह ने श्रीमान अदालत में इश्तकरारहक का पेश किया हुआ है जो बअनुवान बहादुरसिंह बनाम महिपाल विचाराधीन है जिसमें स्वंय वादी अभयसिंह की तरफ से रणवीर यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया हुआ है लेकिन वादी ने दावे में प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य छिपाकर दावा श्रीमान अदालत में पेश किया हुआ है जो दावा आदेश 7 नियम 11 (क) सिविल प्रकिया संहिता के तहत खारिज योग्य है वादी शुद्ध हस्त होकर न्यायालय में नहीं आया इस कारण वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

3. यह है कि इसी खसरा नम्बर पर तीन दावे पहले से श्रीमान अदालत में विचाराधीन है तथा वादी उक्त आराजी ख० नं0 76 का रिकोडेर्ड खातेदार भी नहीं है वादी शुद्धहस्त होकर न्यायालय श्रीमान में नहीं आया इसलिये वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 (क) के तहत खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) एवं सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी पेशकर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) सिविल प्रकिया संहिता मिन वादी की ओर से निम्न पेश है।

1. यह है कि पैरा सं0 1 बाबत तारीख पेशी है जो सही है स्वीकार है। एवं दावा बिना अदालत में दर्ज हुये आदेश 7 नियम 11 (क) की कार्यवही अमल में नहीं लायी जा सकती है।
2. यह है कि पैरा सं० 2 गलत है स्वीकार नहीं है। पूर्व में वादी के पिता ने जो दावा अदालत श्रीमान में पेश कर रखा है उसकी मिन वादी को कोई जानकारी नहीं रही है और ना ही मिन वादी उसमें पक्षकार रहा है जबकि प्रतिवादी का यह कहना सरासर गलत है कि वादी ख० नं0 76 का रिकोडेर्ड खातेदार नहीं है बल्कि वादी ख० नं0 76 का रिकोडेर्ड खातेदार है क्योंकि मिन वादी के पिता के नाम उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है मिन वादी का पिता फौत हो चुका है जिसका विरासत इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है। पूर्व में जो दावे चल रहे है वो अन्य खसरा नम्बरो के है ख० नं0 76 का कोई तकासमा का दावा नहीं चल रहा है। जबकि प्रतिवादीगण स्वंय उक्त आराजी के रिकोडेर्ड खातेदार नहीं है प्रतिवादी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।
3. यह है कि पैरा सं० 3 गलत है स्वीकार नहीं है। वादी ख० नं० 76 का रिकोडेर्ड खातेदार है क्योंकि मिन वादी के पिता के नाम उक्त आराजी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है मिन वादी का पिता फौत हो चुका है जिसका विरासत इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है। जबकि प्रतिवादीगण स्वंय उक्त

उपखण्ड अधिकारी

आराजी के रिकोडेर्ड खातेदार नहीं है प्रतिवादी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है खारिज फरमाया जावे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

प्रतिवादी/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर संक्षिप्त बहस निम्न प्रकार है:–
प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है तथा तथ्यों को छिपाकर न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। वादी ने जिस खसरा नं. 76 संबंधी भूमि के संबंध में वर्तमान दावा प्रस्तुत किया है, उसी भूमि के संबंध में पूर्व से ही अनेक वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन हैं। वादी के पिता अमरसिंह द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद "अमरसिंह बनाम रामेश्वर" विचाराधीन है, जिसमें जमाबंदी में स्थगन नोट अंकित है। इसके अतिरिक्त "उम्मेदसिंह बनाम देवकरण" तथा "बहादुरसिंह बनाम महिपाल" नामक वाद भी इसी खसरा नंबर के संबंध में लंबित हैं। इन समस्त तथ्यों की जानकारी वादी को होने के बावजूद उसने अपने वाद पत्र में इनका उल्लेख नहीं किया तथा न्यायालय के समक्ष शुद्ध हस्त होकर उपस्थित नहीं हुआ।

यह भी महत्वपूर्ण है कि वादी स्वयं उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। वादी ने केवल यह कथन किया है कि उसके पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है तथा विरासत इंतकाल अभी दर्ज नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी को स्वतंत्र रूप से वर्तमान दावा प्रस्तुत करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। वादी का यह कथन कि उसे पूर्ववर्ती वादों की जानकारी नहीं थी, पूर्णतः अविश्वसनीय है क्योंकि वह स्वयं संबंधित प्रकरणों में पक्षकार अथवा अधिवक्ता के माध्यम से जुड़ा हुआ है।

वादी द्वारा जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना एवं समान विषयवस्तु पर लंबित वादों की जानकारी न देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. के अनुसार यदि वादपत्र से कारण–ए–दावा स्पष्ट नहीं होता अथवा वाद विधि अनुसार पोषणीय नहीं है, तो वाद प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. के तहत मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

वादी/अप्रार्थी की ओर से आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के विरुद्ध संक्षिप्त बहस निम्न प्रकार है:–
प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र तथ्य एवं विधि दोनों दृष्टि से निराधार एवं खारिज योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि अनुसार पूर्णतः पोषणीय है तथा वादपत्र में स्पष्ट रूप से कारण–ए–दावा अंकित किया गया है। आदेश 7 नियम 11 (क) के अंतर्गत

उपखण्ड अधिकारी

केवल वादपत्र के कथनों को ही देखा जाना होता है, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत विवादित तथ्यों अथवा प्रतिरक्षा को नहीं। इस स्तर पर तथ्यों का विस्तृत परीक्षण अथवा साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

वादी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि विवादित खसरा नं. 76 उसके पिता अमरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा उनके निधन के पश्चात विरासत इंतकाल दर्ज होना शेष है। अतः वादी अपने पिता के उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त भूमि में वैधानिक हित एवं अधिकार रखता है। केवल विरासत इंतकाल दर्ज नहीं होने से वादी का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

प्रतिवादीगण द्वारा जिन अन्य वादों का उल्लेख किया गया है, वे वर्तमान वाद से भिन्न प्रकृति के हैं तथा वर्तमान तकासमा वाद पर उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यह कहना कि वर्तमान वाद समान विषयवस्तु पर लंबित अन्य वादों के कारण अपोषणीय है, पूर्णतः गलत एवं भ्रामक है। यदि प्रतिवादीगण को तथ्यों पर कोई विवाद है तो उसका परीक्षण नियमित साक्ष्य एवं सुनवाई के दौरान किया जाना आवश्यक है, न कि आदेश 7 नियम 11 के स्तर पर।

यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि जब वादपत्र में प्रथम दृष्टया कारण–ए–दावा विद्यमान हो, तब वाद को प्रारंभिक अवस्था में खारिज नहीं किया जा सकता। वादी ने किसी प्रकार का तथ्य नहीं छिपाया है तथा प्रतिवादीगण केवल वाद की सुनवाई को अनावश्यक रूप से विलंबित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं।

अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे तथा मूल वाद की सुनवाई विधि अनुसार जारी रखी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा विवादित खसरा नं. 76 संबंधी भूमि के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त भूमि के संबंध में पूर्व से ही विभिन्न वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा जमाबंदी में स्थगन नोट भी अंकित है। यह भी निवेदन किया गया कि वादी स्वयं उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है, अतः वाद पोषणीय नहीं है।

वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा स्वयं को अपने पिता अमरसिंह का उत्तराधिकारी बताते हुए वाद को पोषणीय बताया गया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित खसरा नं. 76 संबंधी भूमि के संबंध में पूर्व से विभिन्न वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं तथा उक्त तथ्य वादी द्वारा वादपत्र

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]-तिजारा

में उल्लेखित नहीं किये गये हैं। वादी ने स्वयं स्वीकार किया है कि भूमि उसके पिता अमरसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं विरासत इंतकाल भी दर्ज नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी का स्वतंत्र एवं स्पष्ट अधिकार प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं होता। साथ ही वादपत्र में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख नहीं कर न्यायालय के समक्ष पूर्ण एवं शुद्ध तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

वादपत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादी द्वारा स्पष्ट एवं स्वतंत्र कारण–ए–दावा प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा वाद वर्तमान स्वरूप में विधि अनुसार पोषणीय नहीं है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 (क) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

**यह निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।**

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा (राज.)